

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक  
तहसील जालंधरपाटन, जिला जालंधर



❀ जाति प्रमाण पत्र ❀

क्रमांक: प.सुगम/ जा.पं. / 013 / 4623

दिनांक 26/08/2013

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री / सुश्री / श्रीमती प्राची मेहर  
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री मदन लाल  
निवासी जालावाड़  
जिला / डिवीजन जालावाड़

राज्य / संघ राज्य / राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी / प्रार्थिनी जाति / समुदाय

का है जिसे निम्नांकित अनुसार

जो अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति

की सूची संख्या में क्रम सं. 47

मेहर

के रूप में मान्यता दी गयी है।  
पर दर्ज है।

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956
- मुम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966
- हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा -  
- अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गये अनुसार
- संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान-  
-(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति, आदेश 1964
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति, आदेश 1968
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1968
- संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री / सुश्री / श्रीमती प्राची मेहर  
जाति मेहर  
जिला / डिवीजन जालावाड़

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री श्री मदन लाल  
निवासी जालावाड़  
राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

स्थान : जालंधरपाटन  
दिनांक : 26/08/2013

हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर  
तहसील जालंधरपाटन

(नोट : कृपया उन [ ] शब्दों को हटा दीजिए जो लागू नहीं हैं)  
यहाँ प्रयुक्त हुये "साधारण तौर से निवास" शब्दों का अर्थ यही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 धारा 20 में है।